# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 169वीं बैठक के कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 169वीं बैठक **दिनांक 13.05.2026** को जयपुर में **श्री संजय विनायक मुदालियर**, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। **श्रीमति परिमिता मिश्रा**, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान के संयोजन में आयोजित इस बैठक में श्री कृष्ण कुणाल, सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार; डॉ. रवि कुमार सुरपुर, सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार; श्रीमति शिवांगी स्वर्णकार, विशेष सचिव, वित्त (बजट विभाग), राजस्थान सरकार; श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, निदेशक, राज्य मिशन, आजीविका परियोजना एवं एसएचजी, राजस्थान सरकार; श्री राकेश राजोरिया, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार; श्री सत्येंद्र कुमार, सीईओ, RITI, राजस्थान सरकार; श्री सुमित मेहरदा, पुलिस अधीक्षक, साइबर अपराध, राजस्थान पुलिस; श्री रंजीव शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर; डॉ. आर रवि बाबू, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर; श्री राव क्षितिजराज सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, श्री विजय राणा, उप-महाप्रबंधक, नाबार्ड जयपुर सहित केंद्र व राज्य के उच्चाधिकारियों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

**संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सर्वप्रथम मंच पर आसीन अतिथियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में शामिल अन्य सभी अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 169वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उन्होने बैठक में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा का आग्रह करते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने केंद्र व राज्य सरकार के सभी अधिकारी, सभी बैंकर्स साथियों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और समिति की बैठक में पधारे सभी अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 169वीं बैठक में हार्दिक स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तिमाही की तुलना में मार्च 2026 तिमाही में राजस्थान राज्य ने सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इस उत्कृष्ट सफलता पर सभी बैंकों, सरकारी विभागों तथा संबंधित हितधारकों को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित किया गया।

उन्होने सभी बैंकों से निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध भी किया:

1. बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी पात्र व्यक्तियों का PMJDY खाते खोलें और उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं **(PMJJBY, PMSBY, APY**) से भी लाभान्वित करें।
2. PMJDY खातों में **Rupay Card जारी करने के साथ एक्टिवेशन करें** तथा बचे हुए खातों में आधार सीडिंग करवाएँ।
3. **KCC Saturation Drive** में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. कृषि क्षेत्र में **Investment Credit** में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ठोस कार्यवाही एवं प्रयास किया जाए।
5. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण कर पर ऋण वितरित किया जाए।
6. '**Digital एवं Financial Literacy** का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि बैंकों की लागत पर नियंत्रण के साथ लोगों को जागरूक किया जा सके।

7. **Unclaimed financial assets** का निपटान कर निधियों को वापस करना तथा लक्षित समूह का **Re-KYC** करना।
8. मार्च 2026 तक वित्तीय वर्ष 2025–26 के **वार्षिक ACP** लक्ष्यों की प्राप्ति 98.86% रही, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, किन्तु 100% लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सका। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजस्थान राज्य के सभी बैंक सामूहिक प्रयासों से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
9. मार्च तिमाही वित्तीय वर्ष 2025–26 तक राजस्थान राज्य के सभी बैंकों का APY प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बैंकों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने PFRDA द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। हमें विश्वास है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में भी यह उपलब्धि निरंतर जारी रहेगी और सभी बैंक मिलकर नए मानक स्थापित करेंगे।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**शासन सचिव, आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- राज्य में सभी बैंकों का कुल CD Ratio 100% से अधिक है, लेकिन कुछ ज़िलों जैसे बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर में यह केवल 65–70% तक सीमित है। अजमेर भी कम CD Ratio वाले ज़िलों में आता है जोकि चिंताजनक स्थिति है। सभी बैंकों को यह प्रयास करना होगा कि इन ज़िलों में विशेष योजना बनाके CD Ratio को मज़बूत और संतुलित स्तर तक पहुँचाया जाए।
- सरकारी योजनाओं में आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लंबित मामलों की संख्या अधिक है, दस्तावेज़ीकरण जटिल है और अस्वीकृत मामलों की निगरानी नहीं हो रही है। बैंकों को डिजिटल एनालिटिक्स का प्रयोग करके शाखा और ज़िला स्तर पर अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। इससे निर्णय लेने में आसानी होगी और आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया तेज़ होगी।
- साइबर अपराध एक गंभीर विषय है। इसे केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित न रखा जाए। इस पर अलग उप-समिति बनाई जाए या बैठक से पहले विस्तृत चर्चा की जाए ताकि ठोस निर्णय लिए जा सकें।
- राजस्थान में लगभग 8600 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। बैंकों को प्राथमिक योजनाओं के साथ-साथ स्टार्टअप्स को भी क्रेडिट प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑरेंज इकॉनमी को क्रेडिट समर्थन देने की अपील की है। बैंकों को इसे भी विकास का प्रमुख क्षेत्र मानकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, राजस्थान सरकार ने जोधपुर में देश की पहली फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। इस विश्वविद्यालय में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- वित्तीय समावेशन के लिए बैंक मित्र और बैंक सखियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लगभग 36% सखियाँ निष्क्रिय हैं, जबकि राज्य बजट में 5,000 सखियों का लक्ष्य रखा गया है। 18 मार्च 2026 की बैठक में निर्णय हुआ था कि सभी बैंक अपने बैंक मित्र और बैंक सखियों का डेटा उपलब्ध कराएँगे, लेकिन अभी तक केवल पंजाब नैशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह जानकारी उपलब्ध करायी है। उन्होंने एसएलबीसी से आग्रह किया कि सभी बैंकों से डेटा प्राप्त कर विभाग को प्रेषित करे, ताकि लक्ष्यों को तय कर उन्हें पूरा किया जा सके।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)**

- राजीविका के अंतर्गत महिला सखियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष लक्ष्य 11% से 20% तक पहुँचाने का है और आगे इसे 30% तक ले जाना है। यह तभी संभव होगा जब प्रशिक्षित सखियों की संख्या बढ़े और उन्हें सक्रिय रूप से कार्य में लगाया जाए।

- आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को समय पर कृषि ऋण आवेदनों का निपटारा करना होगा। बैंकों के द्वारा किसानों को उदारता से ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि बुवाई के समय कोई कठिनाई न हो जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
- राजीविका से जुड़े 1,829 व्यक्तिगत मामलों में लगभग 6.83 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है। इनका नामवार और शाखा-वार विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे BL पोर्टल पर सही कर, राज्य सरकार और NRLM के साथ मिलान करना आवश्यक है। इसके अलावा 3,379 मामले शून्य बकाया श्रेणी में दिख रहे हैं, जिन्हें भी जाँचकर सुधारना होगा।
- एसएचजी ऋण में इस वर्ष 27,500 उद्यमों का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 268 उद्यम ऋण आवेदन विभिन्न शाखाओं में लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाना आवश्यक है। साथ ही 3,020 SHG बचत बैंक खाते खोलने के मामले भी लंबित हैं जिसके लिए सभी बैंकों को कार्रवाई करनी होगी।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)**

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- वित्तीय समावेशन रणनीति के अंतर्गत इस वर्ष 4,500 गैर बैंकिंग स्थानों पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सभी बैंकों को SLBC द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शीघ्र योजना बनाकर कार्य करना होगा। यह पाँच वर्षीय राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, अतः दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।
- बैंकिंग संवाददाता एवं प्रशिक्षण के संदर्भ में बैंक मित्र (BC) आउटलेट्स को अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने **मिशन मित्रवत (MITRAVAT)** नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह "प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करने" की पद्धति पर आधारित है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाएँ और प्रशिक्षकों को तैयार कर आगे जो कि अन्य बैंक मित्रों को प्रशिक्षित करें।
- री-केवाईसी एवं दावा रहित जमा राशि के संदर्भ में राजस्थान का प्रदर्शन री-केवाईसी में राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत 41% है, जबकि राजस्थान केवल 37% पर है जो कि अन्य बड़े राज्यों कि तुलना मे कम है। सभी बैंकों को अपने प्रयास दोगुने करने होंगे ताकि राजस्थान राज्य इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी प्रकार दावा रहित जमा राशि (Unclaimed Deposits) के मामलों में भी सुधार की आवश्यकता है।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

- पिछले सात वर्षों (2017-18 से 2024-25) में राष्ट्रीय ऋण में राजस्थान की हिस्सेदारी 3.03% से बढ़कर 3.84% हुई है। तथापि, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य के ~5% योगदान की तुलना में ऋण हिस्सेदारी अभी भी कम है। यह अंतर राज्य में ऋण वृद्धि (Credit Growth) के लिए अप्रयुक्त क्षमता और विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश को रेखांकित करता विशेष चिंता कृषि क्षेत्र की है, जहाँ ऋण वृद्धि धीमी हो गई है। इसका कारण कुछ कृषि ऋणों का पुनर्वर्गीकरण तथा कुछ ज़िलों में उच्च NPA स्तर है। इस स्थिति को सुधारने हेतु राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है।
- SLBC उप-समिति बैठकें के अंतर्गत बैंक ऋण वसूली से संबंधित SLBC उप-समिति की बैठक जून 2023 के बाद से नहीं हुई है। लगभग तीन वर्षों से यह बैठक लंबित है, जो कि चिंता का विषय है। इस बैठक का अविलंब आयोजन कर ऋण वसूली से संबंधित ठोस निर्णय लेना आवश्यक है।

**(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार)**

**विशेष सचिव, वित्त (बजट विभाग), राजस्थान सरकार** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- राज्य सरकार के द्वारा सभी राजकीय कर्मचारियों हेतु वेतन खाता पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके लिए बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, परंतु भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अनुरोध है कि इन बैंकों के प्रतिनिधि शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि इस महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन किया जा सके।

**(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक)**

- शिक्षा विभाग की योजनाओं जैसे टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल और वर्दी वितरण हेतु ई-वाउचर योजना की घोषणा की गई है। यह पहली बार है कि ऐसी योजना लागू की जा रही है। बैंकों से अपेक्षा है कि वे इस योजना के लिए अपनी अपनी कार्यप्रणाली और प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि लाभार्थियों को यह सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

- राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों हेतु पेंशन समायोजन योजना के लिए कई बैठकों का आयोजन किया गया, परंतु बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी संबंधित बैंक शीघ्र प्रस्ताव दें, ताकि इस योजना पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

**(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक)**

**मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों ने राज्य में रु 3.99 लाख करोड़ का ऋण के रूप में निवेश किया, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। NABARD के द्वारा इस वर्ष राज्य का बजट रु 4.87 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। SLBC ने भी रु 4.84 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि NABARD ने रु 4.87 लाख करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया है यह दोनों लक्ष्य लगभग समान हैं।
- कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जिसका प्रमुख कारण गोल्ड ऋणों का पुनर्वर्गीकरण तथा केसीसी खातों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से de-duplication किया जाना है। वर्तमान में यह आवश्यक है कि कृषि ऋण को केवल फसल ऋण तक सीमित न रखा जाए, क्योंकि राज्य की कृषि आय में लगभग 50 प्रतिशत योगदान पशुपालन एवं अन्य सहायक कृषि गतिविधियों का है। राज्य में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समावेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।
- राज्य में 11 लाख संगठित दुग्ध उत्पादक हैं, जबकि केवल 5.8 लाख को ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC जारी किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख का अंतर है। बैंकों को पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में ऋण वितरण को बढ़ाना होगा।
- अजमेर एवं कोटपूतली-बैहरोड ज़िलों के क्षेत्रीय भ्रमण से यह स्पष्ट हुआ कि वित्तपोषण का लक्ष्य अब केवल व्यक्तिगत किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा नवाचार आधारित ग्रामीण उद्यम भी इसके महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। एफपीओ, ग्रामीण उद्यमों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समयबद्ध एवं उपयुक्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाए तो वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और सतत विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- राज्य में पॉलीहाउस खेती, नियंत्रित वातावरण में उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, पशुपालन और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरणस्वरूप, दौसा ज़िले में सहकारी बैंक ने 143 पॉलीहाउस को वित्तपोषित किया है और 100% वसूली दर्ज की है। इसी प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रसंस्करण गतिविधियों में भी निवेश की बड़ी संभावनाएँ हैं।
- पिछले दस वर्षों में कृषि टर्म लोन पोर्टफोलियो ₹10,000 करोड़ से बढ़कर ₹59,000 करोड़ तक पहुँच गया है। यह छह गुना वृद्धि दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएँ निरंतर बढ़ रही हैं।
- कृषि क्षेत्र में लगभग 7% एनपीए परिलक्षित होता है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह केवल 2% है। राजस्थान की जलवायु संवेदनशीलता इस चुनौती को और गंभीर बनाती है। अतः आवश्यक है कि कृषि ऋण को समग्र मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण से जोड़ा जाए—जिसमें बीमा सुरक्षा, संरक्षित खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रसंस्करण गतिविधियाँ और मूल्य संवर्धन मॉडल सम्मिलित हों। इस प्रकार के एकीकृत प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एनपीए को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है और किसानों को स्थायी आय एवं बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकती है।

- MSME वित्तपोषण में शहरी क्षेत्रों का प्रभुत्व है। लगभग 25% ऋण केवल जयपुर में गया है, जबकि जोधपुर, भीलवाड़ा और सीतापुर भी प्रमुख लाभार्थी हैं। यह आवश्यक है कि MSME वित्तपोषण ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित हो।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**सीईओ, रीति, राजस्थान सरकार** ने सदन को निम्नानुसार संबोधित किया-

- कृषि ऋण ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राज्य के सभी बैंकों को पारंपरिक सोच से हटकर कार्य करना होगा। चालू वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण वितरण को कम-से-कम रु 30,000 करोड़ तक बढ़ाना आवश्यक है। NABARD द्वारा किया गया आकलन व्यावहारिक है और इसे प्राप्त करना संभव है। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
- उन्होंने सुझाव दिया कि सभी बैंक NABARD द्वारा निर्धारित कृषि ऋण लक्ष्यों को अपनी वार्षिक योजनाओं में शामिल करें और उन्हें गंभीरता से प्राप्त करने का प्रयास करें। यह आंकड़े व्यक्तिगत अनुमान नहीं हैं, बल्कि NABARD के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित हैं।
- विभिन्न योजनाओं की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि कई योजनाओं में आवेदन संख्या सीमित है, जबकि समग्र स्तर पर क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 102% है। इसलिए कृषि, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों, मांगी गई राशि और स्वीकृत ऋण का अलग-अलग विश्लेषण आवश्यक है। इससे यह समझा जा सकेगा कि क्या पर्याप्त आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और किन क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है।
- ऋण अस्वीकृति भी एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकारी योजनाओं में अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा होती है, लेकिन कृषि एवं एमएसएमई ऋणों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी जिले में अस्वीकृति प्रतिशत 5% या 10% से अधिक है, तो संबंधित बैंक और अग्रणी जिला प्रबंधकों को मिलकर कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। केवल अस्वीकृति करना समाधान नहीं है, बल्कि उसके पीछे के कारणों को समझना आवश्यक है।
- विभिन्न बैंकों की स्थिति एवं भागीदारी में काफी अंतर है। कुछ बैंकों की जमा राशि एवं ऋण वितरण में उल्लेखनीय हिस्सेदारी है, जबकि कुछ बैंकों का योगदान अपेक्षाकृत कम है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक बैंक की समग्र स्थिति, अर्थात् विभिन्न योजनाओं, कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में उसकी कुल भागीदारी का एकीकृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सा बैंक किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम योगदान दे रहा है तथा उसमें सुधार की संभावनाएँ कहाँ हैं।
- कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अत्यंत उपयोगी होगा। केवल समेकित आंकड़ों से वास्तविक स्थिति का आकलन संभव नहीं है।
- केवाईसी और री-केवाईसी का विषय भी महत्वपूर्ण है। यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे खाताधारकों को नियमित रूप से सूचित करें और लंबित पुनः-केवाईसी खातों को प्राथमिकता से पूरा करें।
- इस प्रकार सभी हितधारकों को मिलकर कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण वितरण को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में कार्य करना होगा।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**तत्पश्चात उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मंचासीन सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया।

**Confirmation of Minutes of 168th SLBC Meeting**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 23.02.2026 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03.03.2026 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं। तत्पश्चात उन्होने कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने कार्यवृत की पुष्टि की।

**Action Taken Report**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने 167 वीं एसएलबीसी की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं (ATRs) के संबंध में हुई अद्यतन कार्यवाही से सदन को अवगत करवाया।

**ATR No. 1 – Stamp Duty Under the Rajasthan Finance Act, 2024.**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024 के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति-पत्र (बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर) पर स्टाम्प शुल्क रु 10 से बढ़ाकर रु 500 कर दिया गया है। बैंको से प्राप्त फीडबेक के अनुसार इस परिवर्तन से किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) बैठक में यह अनुरोध किया गया था कि कृषि एवं एमएसएमई ऋणों के लिए इस शुल्क को पूरी तरह से माफ किया जाए। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी तथा ऋण वितरण की प्रक्रिया अधिक सुगम और सुलभ हो सकेगी।

**प्रतिनिधि, वित्त एवं मार्गोपाय विभाग, राजस्थान सरकार** ने अवगत कराया कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर लंबित नहीं है।

**ATR No. 2 – NZC Agenda:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि:-

- NZC एजेंडा के अंतर्गत राज्य में अभी भी 1,324 ऐसे ग्राम हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इस संदर्भ में 168वीं एसएलबीसी बैठक में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एसएलबीसी को निर्देशित किया गया कि इस कार्य को विशेष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्त ग्रामों में शीघ्रातिशीघ्र बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के उद्देश्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
- 32वीं NZC बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेखित किया गया था कि 3,000 से कम जनसंख्या वाले बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अथवा डाक विभाग के माध्यम से डाकघर शाखाएँ स्थापित कर बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित किया जाए। इस संबंध में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को पत्र संख्या JZ/SLBC/2026-27/128 दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। डाक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 1,324 ग्रामों में से 961 ग्राम पहले से ही 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध डाक सुविधाओं के अंतर्गत आच्छादित हैं, जबकि शेष 363 ग्रामों को भी शीघ्रातिशीघ्र इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक/डाकघर सुविधाओं से आच्छादित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**ATR No. 3- R-SETI Land allotment & building construction issues pending with the State Government:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि निम्न सभी आर-सेटी संस्थानों में भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण संबंधी मुद्दे वर्तमान में राज्य सरकार स्तर पर लंबित हैं:-

- भूमि आवंटन लंबित जिले: 5 (अलवर, भरतपुर, पाली, जालौर एवं चित्तौड़गढ़)।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नवगठित जिलों में भूमि आवंटन लंबित: 7 (ब्यावर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़) दिनांक 30.04.2026 की स्थिति अनुसार।
- इसके अतिरिक्त, 2 जिलों —डूंगरपुर एवं सिरोही — में जिला प्रशासन द्वारा महालेखाकार परीक्षण के अनुसार भूमि मूल्य की न्यून वसूली के रूप में क्रमशः रु 58,930/- एवं रु 8,59,320/- की राशि जमा कराने की मांग की गई है।

**सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार** ने समिति को बताया कि हमने इन विषयों पर एसएलबीसी के साथ हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है एवं इन विषयों पर ठोस कदम उठाए जाएँगे।

**ATR No. 4. – SMS Notification for Re-KYC of EBT/DBT Beneficiaries:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) अथवा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए कि जिन लाभार्थियों की पुनः-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई हैं, वे उनकी बैंक शाखा या अन्य माध्यम से शीघ्र पूर्ण करें ताकि सरकारी योजनाओं के लाभों का निर्बाध रूप से लाभ उठाते रहें। संयुक्त सचिव, आयोजन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संदर्भ में जनाधार लाभार्थियों से संबंधित विभागों को पत्र भी जारी किया गया है।

**सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** ने समिति को अवगत कराया कि यह विषय विभाग के स्तर पर परीक्षणाधीन (विचाराधीन) है।

**ATR No. 5- Bank Branch Expansion in Uncovered Villages:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) द्वारा दी गई 75 ग्रामों की सूची में से 41 ग्राम पहले से ही आच्छादित हैं, क्योंकि वे मौजूदा बैंक शाखाओं के पाँच किलोमीटर के दायरे में आते हैं। शेष 34 ग्रामों में नई शाखाओं की स्थापना आवश्यक है। इस संदर्भ में, राजस्थान ग्रामीण बैंक ने SLBC कार्यालय को सूचित किया है कि उसके आवंटित 12 ग्रामों में शाखाएँ खोलने हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक-एक ग्राम में शाखा खोलने की प्रस्तावित तिथि की सूचना प्रदान की है। सभी बैंकों से अपेक्षा है कि वे DFS के निर्देशों का पालन करते हुए शेष गाँवों में शीघ्र शाखाएँ खोलें, ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

**ATR No. 6 – Pending SRLM claim:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राजीविका विभाग से अनुरोध है कि एनआरएलएम लक्षित समूह के अभ्यर्थियों पर आर-सेटी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावों का निपटाया जाए तथा संबंधित राशि बैंकों को उपलब्ध कराई जाए। दिनांक 31.03.2026 तक कुल रु 80.94 करोड़ की बकाया राशि में से रु 22.09 करोड़ की प्रतिपूर्ति बैंकों को जारी की जा चुकी है, जबकि रु 58.85 करोड़ अब भी लंबित है।

**ATR No. 7- Success Stories:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि 168वीं बैठक मे मुख्य सचिव महोदय ने यह स्पष्ट किया था कि चर्चाएँ केवल आँकड़ों की प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही, सफलता की कहानियाँ भी साझा की जानी चाहिएं—विशेषकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋणों से संबंधित। इस निर्देश के अनुरूप, हम इस मंच के समक्ष कुछ सफलता की कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं एवं अन्य सफलता की कहानियों के वीडियो एसएलबीसी राजस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

**ATR No. 8 – Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017):**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि बैंको की ओर से ग्लो साइन बोर्ड शुल्क की माफी का विषय जून 2017 से लंबित है। इस संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभाग से उत्तर अपेक्षित है। चूँकि भारत सरकार द्वारा बैंकों को सार्वजनिक उपयोगिता घोषित किया गया है। अतः राज्य सरकार से पुनः अनुरोध है कि लगाए गए शुल्क को माफ करने पर विचार किया जाए।

**<u>Agenda No 1 - Banking at a glance in Rajasthan</u>**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राजस्थान में बैंकिंग का संक्षिप्त परिदृश्य के अंतर्गत सभी मापदण्डों पर हुई प्रगति एवं 31 मार्च 2026 तक निर्धारित मानकों के सापेक्ष उपलब्धियों से समिति को अवगत कराया।

**Agenda 2 - Districts wise CD Ratio in Rajasthan**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि-

- राज्य के सभी जिलों का साख जमा अनुपात (CD Ratio) 50% से अधिक हो गया है।
- राज्य मे साख जमा अनुपात (CD Ratio) 70% से कम वाले जिले यथा डूंगरपुर जिला एवं सिरोही जिला है।

**(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबन्धक डूंगरपुर एवं सिरोही )**

**उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** की टिप्पणी- CD Ratio के तहत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक्स में भी संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धक द्वारा उचित कार्ययोजना को अपनाया जाए।

**(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, बलोतरा, डिडवाना-कूचामन, डूंगरपुर, जालौर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर एवं उदयपुर)**

**Agenda 3 - Comparative Development of Rajasthan from मार्च 2025 to मार्च 2026**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच बैंकिंग सेवाओं में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर तैयार किए गए तुलनात्मक आँकड़ों से समिति को अवगत कराया।

**Agenda 4 - Annual Credit Plan F.Y. 2025-2026**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि वार्षिक साख योजना 2025-2026 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 4,04,002 करोड़** के सापेक्ष 31 मार्च, 2026 तक क्षेत्र-वार वार्षिक लक्ष्यों के पेटे उपलब्धि निम्नानुसार रही हैं-

- कृषि क्षेत्र- 94.75%
- MSME क्षेत्र- 103.10%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 90.48%
- **कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 98.86%**

**Bank's having achievement below target under Annual Credit Plan (ACP) during F. Y. 2025-26 (up to 31st March 2026)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मार्च 2026 तक **वार्षिक लक्ष्यों** से कम उपलब्धि वाले बैंक से वित्तीय वर्ष 2026-27 में उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि वार्षिक साख योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

**(कार्यवाही: आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एयू समाल फाइनैन्स बैंक, यस बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, पंजाब एवं सिंध बैंक, केनरा बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं आइडीएफसी फर्स्ट बैंक)**

**प्रतिनिधि, एक्सिस बैंक** ने सूचित किया कि कृषि क्षेत्र में पुनर्वर्गीकरण के कारण एसीपी की उपलब्धि में कमी आई है एवं समिति को आश्वस्त किया कि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं तथा इस खंड में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएँगे

**सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार** ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत कृषि, एमएसएमई तथा महिलाओं को अग्रिम जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ जिलों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से कम है। अतः सभी बैंकों को वर्तमान तिमाही में इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

**(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)**

**Agenda 4 - Annual Credit Plan for FY 2026-27**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि वार्षिक साख योजना वर्ष 2026–27 के लिए राजस्थान में बैंकिंग का संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें कृषि, एमएसएमई तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए राज्य फोकस पेपर एवं डीसीसी द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के आधार पर साख योजना तैयार की गई है। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि इन लक्ष्यों के अनुरूप सभी को वर्तमान तिमाही में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

**सीईओ, रीति, राजस्थान सरकार** ने बताया कि -

- उन्होंने कृषि ऋण के लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में कहा कि इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि एवं पशुपालन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए लक्ष्यों को अंतिम रूप देने से पूर्व विस्तृत समीक्षा की जाए।
- इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में कमजोर ऋण प्रवाह वाले हिस्सों की पहचान करने तथा विशेष रूप से गोदामों और कोल्ड स्टोरेज जैसी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्तुत आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या यह ऋण प्रवाह नए प्रोजेक्ट्स की ओर जा रहा है अथवा केवल कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन आंकड़ों का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाए और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अंतिम निर्णय लिया जाए।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)**

**Agenda 6 - Agency-wise Investment Credit as a Percentage of Agriculture Profile (as on 31.03.2026)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि-

- दिनांक 31.03.2026 तक राज्य का कुल बकाया कृषि अग्रिम के सापेक्ष बकाया कृषि निवेश ऋण **34.62%** है एवं राज्य (राजस्थान ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के अलावा) कुल बकाया कृषि निवेश ऋण **43.07%** है जो कि मानक स्तर 40% से ज्यादा है।
- दिनांक 31.03.2026 तक राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(34.62%)** से कम प्रतिशत वाले बैंकों से अनुरोध है किया गया कि कुल कृषि ऋण में कृषि निवेश ऋण प्रतिशत बढ़ाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उचित कार्ययोजना बनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करें।

**(कार्यवाही: राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीसीबी बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)**

**प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण बैंक** सूचित किया गया कि बताया कि पिछले वर्ष बैंकों के विलय के कारण इस क्षेत्र का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया तथा कृषि टर्म लोन की परिपक्वता के चलते उपलब्धि प्रतिशत प्रभावित हुआ हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जाएँगे।

**Agenda 7 – Financial Inclusion**

**Branch opening and updation in newly identified 75 villages**

**उप महाप्रबन्धक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग**,** वित्त मंत्रालय**,** भारत सरकार द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु **75** बैंकिंग सुविधाविहीन ग्रामों की सूची प्रदान की गयी है जिसे एसएलबीसी द्वारा ई-मेल दिनांक **29.05.2025**, **08.10.2025** के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया गया है तथा**;**

- उक्त बैंकों से लंबित आवंटित केन्द्रों पर अतिशीघ्र बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होने बताया कि **75** गांवों में से **41** गांवों में पहले से ही **5** किलोमीटर के भीतर शाखाएं हैं जिनको जेडीडी पोर्टल पर

अपडेट करने की आवश्यकता है एवं **41** गांवो मे से **40** को जेडीडी पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है एवं 1 तकनीकी कारण से लंबित है।

- कुल 7**5** गांवों में से शेष 3**4** गांवों में बैंक शाखाएं खोलना है। राजस्थान ग्रामीण बैंक ने एसएलबीसी कार्यालय को सूचित किया है कि बैंक को आवंटित सभी 1**2** केंद्रो में शाखा खोलने हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है**,** साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाँव में शाखा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक गाँव में शाखा खोलने की प्रस्तावित तिथि से कार्यालय को अवगत कराया है। अन्य संबंधित बैंकों के द्वारा इन स्थानों पर सर्वेक्षण में इन गांवों पर शाखा खोलना व्यवहारिक नहीं (**not viable)** पाया गया है एवं इसकी जानकारी वित्तीय सेवाएँ विभाग (**DFS)** को प्रेषित कि गई है।

**(कार्यवाही: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफ़सी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक)**

**<u>Strategy for Financial Inclusion Targets (NSFI) 2025-30</u>**

**सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि:-**

- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025-30 का प्रथम उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सुदृढ़ और गहन बनाना है, जिसे राजस्थान राज्य में पहले ही जून 2024 में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।
- दूसरा मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों तक सुरक्षित, जिम्मेदार और सुलभ वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना है। इसके अंतर्गत दिसंबर 2030 तक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत दिसंबर 2026 तक टियर-I से टियर- केंद्रों के 50% और टियर-VI केंद्रों के 15% गैर बैंकिंग क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य है। दिसंबर 2027 तक टियर-I से टियर-V केंद्रों के 100% और टियर-VI केंद्रों के 30% क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। दिसंबर 2028 तक टियर-VI केंद्रों के 50%, दिसंबर 2029 तक 75% और दिसंबर 2030 तक 100% अनबैंक्ड क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुल 29,924 गैर बैंकिंग केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 15% केंद्रों को दिसंबर 2026 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक चरण में 4,500 केंद्रों की सूची LDMs को भेजी गई है ताकि उन्हें संबंधित बैंक शाखा सेवा क्षेत्रों से मैप किया जा सके।
- तीसरा मुख्य उद्देश्य में महिला-नेतृत्व वाली वित्तीय समावेशन नीति को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत महिला बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है एवं सभी बैंको को नए BCs में 30% महिलाएँ शामिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही, बैंकों को अनुरोध किया गया है कि वे दिसंबर 2026 तक 20%, दिसंबर 2027 तक 25% और दिसंबर 2028 तक 30% महिला BCs का अनुपात हेतु प्रयास करें।
- चौथे मुख्य उद्देश्य में रणनीति में जीविका, कौशल विकास और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को वित्तीय समावेशन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सभी जिलों की संभावित ऋण योजना (Potential Linked Plan - PLP) में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आरसेटी (RSETI), पीएमकेवीवाई (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS) आदि से प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु उपयुक्त वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- साथ ही, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु वित्तीय संस्थानों तक पहुँच बनाने में आवश्यक सहयोग एवं हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाएगा, ताकि उन्हें स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के लिए समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि NSFI 2025–30 के प्रथम उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के सुदृढ़ीकरण एवं गहनता के संदर्भ में, SLBC द्वारा नियमित रूप से डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल धोखाधड़ी रोकथाम के लिए क्षेत्रवार एवं शाखावार अभियान चलाए जाने के लिए बैंकों को प्रेरित करना चाहिए।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)**

**Inactive Fixed Point BC data National**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने उन बैंकों से अनुरोध किया जिनके बैंक मित्र (BC) का निष्क्रिय प्रतिशत 5% से अधिक है, वे सभी बैंक यथाशीघ्र निष्क्रिय BC को सक्रिय करें तथा ऐसे BC जो सक्रिय नहीं हो सकते, उनका विश्लेषण कर यह निर्णय लें कि उन्हें जारी रखा जाए या नहीं।

**(कार्यवाही: केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एचडीएफ़सी बैंक, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने पेमेंट बैंकों से आग्रह किया गया है कि आगामी SLBC बैठक में BC की निष्क्रियता को कम करने हेतु बैंक कोई ठोस योजना एवं स्पष्ट रणनीति के साथ उपस्थित हो एवं आगामी एक महीने मे एसएलबीसी कार्यालय को एक विस्तृत रोडमेप प्रस्तुत करें।

**(कार्यवाही: फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक)**

**Agenda 8 - Atal Pension Yojna FY 2025-2026 upto 31.03.2026:**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य के APY में प्रदर्शन से अवगत करवाया।

- सहकारी बैंक से अनुरोध किया गया कि इस क्षेत्र में बैंक को अविलंब ध्यान देना होगा। न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले निजी बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अटल पेंशन योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।

  **(कार्यवाही: राज्य सहकारी बैंक एवं सभी निजी बैंक)**

- योजना में जिन बैंकों का का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सुधारात्मक कदम उठाएँ।

  **(कार्यवाही: इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक)**

- योजना में जिन जिलों का का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सुधारात्मक कदम उठाएँ।

  **(कार्यवाही: अग्रणी जिला प्रबंधक जिला बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर एवं अजमेर)**

**Agenda 9 - Bank wise progress in Camps for Refund of Unclaimed Financial Assets**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत कराया कि दिनांक 30.04.2026 तक सभी बैंकों के द्वारा लगभग रु. 157.81 करोड़ कि दावा रहित जमा लाभार्थियों को वापस कर दिया गया है। सभी बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि इन आँकड़ों में वृद्धि हो। विशेष रूप से वे बैंक जो निचले स्तर पर हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं सभी अग्रणी जिला प्रबंधक)**

- अभियान में जिन बैंकों का का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएँ।

  **(कार्यवाही: पंजाब एवं सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक)**

**Agenda 11 - National Rural Livelihood Mission (NRLM)**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में योजना कि प्रगति से अवगत करवाया:

- योजना में जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सुधारात्मक कदम उठाएँ।

**(कार्यवाही: राज्य सहकारी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और आईडीबीआई बैंक)**

**सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार** ने सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे अपने लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएँ तथा सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे योजना में ऋण राशि का निर्धारण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप करें।

**(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)**

**Agenda 12: Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2025-2026**

**Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में दिनांक 31.03.2026 तक योजना कि प्रगति से अवगत करवाया:

- योजना में जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है। इन बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुधारात्मक कदम उठाएँ।

**(कार्यवाही: इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक एवं एक्सिस बैंक)**

**प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों** ने समिति को अवगत कराया कि केवीआईसी (KVIC) विभाग के द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदनों में मार्जिन मनी दावों का भुगतान लंबित है।

**(कार्यवाही: केविआईसी विभाग, भारत सरकार)**

**प्रतिनिधि, केवीआईसी विभाग, भारत सरकार** ने समिति को अवगत कराया कि योजना की पंचवर्षीय अवधि गत वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा निर्धारित आवंटन के अनुसार उपलब्ध बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। केवल अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु उपलब्ध शेष बजट के अंतर्गत ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है । सामान्य वर्ग (General Category) से संबंधित अनेक प्रकरण लंबित हैं, जिनका निस्तारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजटीय प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभाग से अनुरोध किया कि अगली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति कि बैठक से पहले बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही: केविआईसी विभाग, भारत सरकार)**

**PMFME Scheme**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को दिनांक 31.03.2026 तक कि PMFME योजना के तहत एजेंसी-वार प्रगति से अवगत कराया।

**अध्यक्ष**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** बैंकों से यह अनुरोध किया गया है कि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की संख्या स्वीकृत ऋणों की संख्या से अधिक है। ऐसी स्थिति में सभी बैंकों को चाहिए कि वे लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें और उन्हें प्राथमिकता के साथ निपटाएँ।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**Agriculture Infrastructure Fund (AIF) as on 31.03.2026**

**उप महाप्रबंधक**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को दिनांक 31.03.2026 तक की योजना के अंतर्गत एजेंसी-वार प्रगति से अवगत कराया गया है।

**Pradhan Mantri Mudra Yojna:**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को दिनांक 31.03.2026 तक की योजना के अंतर्गत एजेंसी-वार प्रगति से अवगत कराया गया है। योजनान्तर्गत सभी बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उचित कार्ययोजना बनाकर PMMY के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

- योजना में जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी नीचे रहा है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुधारात्मक कदम उठाएँ। यह आवश्यक है कि ऐसे बैंक अपनी शाखाओं और जिलों में स्थिति का विश्लेषण करें, कमियों की पहचान करें और ठोस कार्ययोजना तैयार करें।

**(कार्यवाही: एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक)**

**सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार** ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि किसी भी योजना के अंतर्गत बैंकों को दावों के भुगतान लंबित है उनकी विस्तृत सूची एसएलबीसी कार्यालय के माध्यम से हमें अवगत कराएं।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति )**

**PM Vishwakarma Yojana**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति से अवगत करवाया।

- योजना के अंतर्गत जिन बैंकों में सर्वाधिक लंबित आवेदन हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि वे इन आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें।

**(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफ़सी बैंक)**

**अध्यक्ष**, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने** एसएलबीसी कार्यालय अनुरोध किया गया है कि जिन बैंकों में सर्वाधिक लंबित आवेदन हैं, जैसे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, उनके राज्य प्रमुख को इस विषय पर पत्र प्रेषित किया जाए। पत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि लंबित आवेदनों की संख्या अधिक होने के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं और उनसे इसका विवरण मांगा जाए।

**(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफ़सी बैंक)**

**PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna (PMSGMBY)**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने PMSGMBY के तहत दिनांक 31.03.2026 तक की प्रगति से समिति को अवगत कराया।

- योजना में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले निजी बैंक एवं सहकारी बैंको से उचित कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक एवं सहकारी बैंक)**

- योजना के अंतर्गत जिन बैंकों में सर्वाधिक लंबित आवेदन हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि वे इन आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लें।

**(कार्यवाही: पंजाब एवं सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी बैंको से अनुरोध किया कि योजना में अस्वीकृतियों की अधिकता पर भी ध्यान दिया जाए तथा आवेदनों पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जाए।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**PM SVANidhi Yojna**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिनांक 29.04.2026 तक की प्रगति से समिति को अवगत कराया।

- योजना में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको से उचित कार्ययोजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एवं इंडसइंड बैंक)**

- उन्होंने विभाग से अनुरोध किया कि योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की संख्या में वृद्धि की जाए।

**(कार्यवाही: स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार)**

**प्रतिनिधि स्वायत शासन विभाग**, ने अवगत कराया कि इसमें कार्ययोजना बनाकर नगर निकायों (ULB) को यह लक्ष्य दिया गया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों के 150 प्रतिशत आवेदन उत्पन्न करें। इसका उद्देश्य यह है कि बैंकों तक पर्याप्त संख्या में पात्र आवेदन पहुँच सकें और ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़े। साथ ही योजना के अंतर्गत सभी निजी बैंकों से यह अनुरोध किया गया है कि उनका प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से काफी कम है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उचित कार्ययोजना बनाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

**(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक)**

**सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार** ने सभी निजी बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि योजना के अंतर्गत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या काफी अधिक है। इस स्थिति में बैंकों को गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अस्वीकृति के पीछे के वास्तविक कारणों को समझा जा सके और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। जरूरत पड़ने पर सभी निजी बैंकों के राज्य प्रमुखों की मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के साथ बैठक आयोजित की जा सकती है। इस बैठक में लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

**(कार्यवाही: समस्त निजी बैंक)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी बैंकों से यह अनुरोध किया गया है कि योजना में क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान है। इस दिशा में बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से कम है, इसलिए सुधार की आवश्यकता है।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**Strengthening of Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) by WDRA**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मार्च 2026 तिमाही में राज्य में इस योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया एवं विशेषकर राज्य सहकारी बैंकों से योजना मे सुधार के लिए आग्रह किया।

**(कार्यवाही: राज्य सहकारी बैंक)**

**Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana-2022 (BRUPY)**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मार्च 2026 में राज्य में इस योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया।

- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको से वित्तीय वर्ष (2026-27) में प्रदर्शन में वांछित सुधार करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

**(कार्यवाही: यस बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, एक्सिस बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक)**

**प्रतिनिधि उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने** समिति को अवगत कराया गया कि जून 2024 से पहले के आवेदनों को बैंकों के द्वारा अपने स्तर पर अस्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए विभाग के द्वारा सभी बैंकों को पत्र मे माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

**(कार्यवाही: उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)**

**Mukhyamantri Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मार्च 2026 में राज्य में इस योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया एवं बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

- योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले बैंको से वित्तीय वर्ष (2026-27) में प्रदर्शन में वांछित सुधार करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

**(कार्यवाही: एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू समाल फाइनैन्स बैंक)**

- MNSUPY योजनान्तर्गत बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का निस्तारण कर प्रदर्शन में सुधार करें।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

- MNSUPY योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान से लंबित अनुदान दावों का भुगतान बैंकों को शीघ्र करने का अनुरोध किया।

**(कार्यवाही: महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान)**

**आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने** समिति को अवगत कराया गया कि योजना में स्वीकृत आवेदनों और जिन आवेदनों में वास्तविक ऋण वितरण हुआ है, उनकी संख्या में काफी अंतर है। इस अंतर को कम करना आवश्यक है ताकि योजनाओं का प्रभाव सही रूप से सामने आ सके। लंबित आवेदनों पर बैंकों द्वारा तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके। साथ ही, जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, उनके कारणों को बैंकों के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्ज करना चाहिए। उन्होने साथ ही बकाया अनुदान दावों का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)**

**Vishwakarma Yuva Udhyam Protsahan Yojna**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने मार्च 2026 में राज्य में इस योजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया है।

**Agenda 14 - Education Loan**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने अवगत करवाया कि राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 2025-2026 में मार्च 2026 तक **24,065** छात्रों को **रू 1104.45 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 31.03.2026 तक **52686** खातों में **रु 4126.21 करोड़** की राशि बकाया है।

**Agenda 13 - Sector wise & District-wise NPA Position as on 31 March 2026**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य में क्षेत्र वार NPA की 31 मार्च 2026 तक की से समिति को अवगत कराया।

- कुछ जिलों में कृषि NPA प्रतिशत अत्यधिक है। संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि उक्त जिलों में कृषि NPA प्रतिशत कम करने हेतु संबन्धित बैंकों एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रभावी उपयोग करें।

**(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक धौलपुर, डीग, जैसलमेर, करौली, फलोदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर एवं प्रतापगढ़)**

**Agenda 13 - RACO RODA & SARFAESI Act**

**उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) की बैठक का प्रति तिमाही आयोजन किया जाना अपेक्षित है। उक्त उपसमिति की सातवीं और गत बैठक का आयोजन दिनांक 08.06.2023 को किया गया था। विभाग से उपसमिति की बैठक करवाकर वसूली में वांछित सहयोग का अनुरोध किया गया।

**(कार्यवाही: वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार)**

**Agenda 18: Bankwise & Districtwise Ranking Under Govt. Schemes & FI Parameters**

**उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने समिति को अवगत करवाया कि सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन मापदण्डों के आधार पर निम्नलिखित बैंक व जिलों ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं-

| **स्थान** | **बैंक** | **ज़िला** |
|---|---|---|
| प्रथम | इंडियन ओवरसीज बैंक | सीकर |
| द्वितीय | बैंक ऑफ बड़ौदा | चुरू |
| तृतीय | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | झुंझुनू |

**महा निरीक्षक, राजस्थान पुलिस साइबर अपराध, राजस्थान सरकार** ने बताया कि -

- सबसे पहला विषय बैंक खाते खोलने से जुड़ा है। यह केवल डिजिटल समावेशन का विषय नहीं है, बल्कि खातों की सतत निगरानी और लेन-देन की नियमित जाँच भी उतनी ही आवश्यक है। हाल ही में रु 5.3 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें से रु 3.25 करोड़ की नकद निकासी चेकों के माध्यम से की गई। एक उदाहरण में, कोटा की शाखा से मात्र रु 1 लाख वार्षिक आय वाला व्यक्ति एक माह में रु 48 लाख निकालने में सफल रहा। यह गंभीर चिंता का विषय है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित "म्यूल हंटर प्रणाली" पहले से कार्यरत है और इसका आँकड़ा बैंकों के पास उपलब्ध रहता है। किन्तु आँकड़ा साझा करने में विलंब होता है। इसमे सुझाव यह है कि बैंक इस आँकड़े को वास्तविक समय पर सीधे पुलिस थानों के साथ साझा करें, ताकि संदिग्ध खातों की त्वरित जाँच हो सके और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज की जा सके। पिछले दो महीनों में 20,000 से अधिक म्यूल खातों की पहचान हुई है। यदि यह आँकड़ा समय पर पुलिस को मिले तो धोखाधड़ी रोकने की प्रक्रिया कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है।
- दूसरा विषय 1930 साइबर हेल्पलाइन और साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़ा है। हमने 15 बैंकों से जयपुर स्तर पर प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुरोध किया था, ताकि धोखाधड़ी की राशि को समय रहते रोका जा सके। किन्तु फरवरी 2026 से अब तक केवल 4 बैंकों ने ही प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। यह पुलिस विभाग एवं बैंकों के साथ समन्वय के लिए आवश्यक है, क्योंकि समय पर कार्रवाई से पीड़ितों को राहत मिल सकती है।
- तीसरा विषय शिकायत निवारण पोर्टल से संबंधित है। रु 50,000 तक की राशि वाले मामलों में अब पीड़ितों को न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल से राशि वापसी की प्रक्रिया सरल हुई है एवं बैंकों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करें।
- चौथा विषय नए पायलट परियोजना और नवाचारों से जुड़ा है। उदाहरणस्वरूप, हरियाणा में एक पायलट परियोजना के अंतर्गत "Dual ओटीपी प्रणाली" लागू की गई है। इसमें एक ओटीपी उपयोगकर्ता और दूसरा उसके परिजन द्वारा सत्यापित होता है। यह वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। राजस्थान में भी इस प्रकार की परियोजनाएँ प्रारंभ की जा सकती हैं।
- पाँचवाँ विषय साइबर जागरूकता है। केवल सीमित अवधि के अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। व्यापक और सतत जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। सामाजिक माध्यमों का उपयोग कर बैंक छोटे-छोटे

वीडियो तैयार कर सकते हैं। साथ ही, सभी शाखाओं और एटीएम परिसरों में जागरूकता पोस्टर लगाए जाएँ। विशेष रूप से फर्जी ऋण अनुप्रयोगों के बारे में जनता को सतर्क करना आवश्यक है।

**(कार्यवाही: राजस्थान सरकार के समस्त विभाग, समस्त सदस्य बैंक एवं सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक)**

**अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि साइबर धोखाधड़ी वर्तमान समय में बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसलिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) से अनुरोध है कि वह अलग से राजस्थान पुलिस एवं बैंकों के साथ बैठक आयोजित करे और पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करे।

**(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)**

**उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।

.....